न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :— 97/2024

उनवान

1. सुमन देवी पत्नी श्री अर्जुन लाल उम्र 35 वर्ष जाति जाट निवासी गुलाबबाडी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. उप तहसीलदार उपतहसील अमरसर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)
2. सुक्खा पुत्र देबू
3. घासी पुत्र रूपा
4. भागीरथ पुत्र कानाराम
   समस्त वयस्क जाति जाट निवासी गुलाबबाडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
5. तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

— अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

उपखण्ड अधिकारी (जयपुर) राजस्थान

निर्णय दिनांकः 19/2/25

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आ0 ख0 न0 1590 रकबा 0.17 है0, 1591 रकबा 0.12 है0, 1596 रकबा 0.27 है0, 1597/1 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.67 है0 वाकै ग्राम गुलाबबाडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर प्रार्थीया काबिज रहकर कास्त करते चली आ रही है। उक्त आ0 ख0 न0 1590 रकबा 0.17 है0, 1591 रकबा 0.12 है0, 1596 रकबा 0.27 है0, 1597/1 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.67 है0 वाकै ग्राम गुलाबबाडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर का उपतहसीलदार अमरसर के आदेश क्रमांक/सीमाज्ञान/भू0अ0/2024/531 दिनांक 25.06.2024 की पालना में दिनांक 28.06.2024 को पडौसी खातेदारान व ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीया की भूमि को पडौसी काश्तकार भूमि को दबाते रहते है जिससे आये दिन विवाद चलता रहता है। प्रार्थीया उक्त सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीया अपनी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवाना चाहते है।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 0811.2024 को अप्रार्थी सं. 02 लगा0 04 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत एड. ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 5 की तामील हो चुकी है जो बावजूद तामिल व सूचना के आदिनांक तक न्यायालय उपस्थित नही जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

जाती है। दिनांक 09.01.2025 को वकील अप्रार्थी संख्या 02 लगा0 04 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

वकील प्रार्थीया की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मात्र कागजी तौर पर सीमाज्ञान फर्द तैयार करवाया जाना होने तथा मौके पर काबिज नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किसे जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। दिनांक 28.6.2024 को पटवारी हल्का म्हारखुर्द व अन्य हल्का पटवारियों की टीम के द्वारा मौतबिरान की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया गया है , जिससे अप्रार्थी की यह कथन साबित नहीं होता है कि मात्र कागजो में ही सीमाज्ञान करवाया गया है। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। प्रार्थीया के भूमि की मौके पर पत्थरगढी नही होने व असंतुष्ट होने के कारण प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी * (जयपुर) राजस्थान

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आ0 ख0 न0 1590 रकबा 0.17 है0, 1591 रकबा 0.12 है0, 1596 रकबा 0.27 है0, 1597/1 रकबा 0.11 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.67 है0 वाकै ग्राम गुलाबबाडी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुए उनकी उपस्थिति में खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2024 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/2/25 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर